

सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता, महत्त्व एवं लाभ

(Need, Importance and Advantages of Collective Bargaining)

59

UG Sem-IV

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि सामूहिक सौदेबाजी श्रमिक संघों की वह प्रणाली है, जिसके द्वारा वे श्रम का मूल्य और कार्य की शर्तें उद्योगपतियों के साथ निर्धारित करते हैं। निर्माता मजदूरों से मनमानी शर्तें न मनवा सकें व उनका शोषण न कर सकें व श्रमिकों को भी प्रत्येक बात के लिए हड़ताल का आश्रय न लेना पड़े, इसके लिए सामूहिक सौदेबाजी प्रणाली का जन्म हुआ। तब से यह निरंतर विकसित हो रही है। प्रो. ए. बी. रमनराव के शब्दों में, "सामूहिक सौदेबाजी सेवायोजकों और श्रमिकों दोनों से ही सुलह और समन्वय के लिए इच्छुक होने और जनहितों को मान्यता देने के लिए तत्पर रहने की मांग करती है। अब वे दिन हमेशा के लिए चले गये जब सेवायोजकों द्वारा एकपक्षीय रूप में रोजगार की शर्तें निरूपित होती थीं और कर्मचारी उन्हें अपरिहार्य रूप में स्वीकार कर लेते थे। राज्य ने सामूहिक सौदेबाजी के प्रमापीकरण और नियमन द्वारा सक्रिय रुचि लेना आरंभ कर दिया है ताकि श्रमिकों और सेवायोजकों दोनों के हितों की आवश्यकताओं की सामान्य रूप से देखभाल की जा सके। संक्षेप में, सामूहिक सौदेबाजी के महत्त्व का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं :

1. कर्मचारियों के दृष्टिकोण से महत्त्व।
2. प्रबंधकों के दृष्टिकोण से महत्त्व।
3. राष्ट्र के दृष्टिकोण से महत्त्व।

### सामूहिक सौदेबाजी के लाभ

1. कर्मचारियों के दृष्टिकोण से	2. प्रबंधकों के दृष्टिकोण से	3. राष्ट्र के दृष्टिकोण से
1. कम कार्य व अच्छी कार्य दशाएं व अच्छा वेतन	1. शांति की परंपरा	1. औद्योगिक शांति से राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि।
2. निरीक्षक की मनमानी का अंत	2. आदेशों का स्वागत	2. कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होना
3. श्रमिक वर्ग का महत्त्व बढ़ना	3. पदोन्नतियों, पदावनतियों आदि के माले शीघ्र निश्चित	3. औद्योगिक शोध को प्रोत्साहन
4. मधुर सह-संबंध व विवादों का समाधान	4. श्रमिकों का सहयोग	4. श्रम कानूनों का क्रियान्वयन
5. एकपक्षीय कार्यवाही पर नियंत्रण	5. उत्पादन में वृद्धि	5. श्रम कानूनों में संशोधन
6. सामाजिक सुरक्षा	6. समस्या का स्थायी समाधान	
7. सुदृढ़ श्रम संघों का विकास	7. औद्योगिक प्रजातंत्र	
8. उत्तम सेवा शर्तें	8. अपव्यय में कमी	
9. विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा	9. साधनों का पूर्ण उपयोग	
10. समझौते का पालन		

### ① कर्मचारियों के दृष्टिकोण से महत्त्व

(Importance from Employees Point of View)

कर्मचारियों के दृष्टिकोण से सामूहिक सौदेबाजी से निम्नलिखित लाभ हैं :

1. कम कार्य, अच्छी कार्य दशाएं व अच्छा वेतन : श्रमिक या कर्मचारी सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा अपने (i) कार्य के घंटों को कम करवा लेते हैं, (ii) उन्हें अच्छा वेतन मिलने लगता है, (iii) कार्य की दशाओं में सुधार हो जाता है।
2. निरीक्षक की मनमानी का अंत : रेनाल्ड्स का यह भी मत है कि सामूहिक सौदेबाजी का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि "निरीक्षक एक निरंकुश शासक न रहकर वैधानिक सम्राट रह जाता है, जिसको समझौते की शर्तों को मानना पड़ता है और जिसके फैसले के विरुद्ध आगे अपील हो सकती है।" प्रायः यह देखा गया है कि सामूहिक सौदेबाजी के अभाव में सभी कार्य प्रबंधकों की मर्जी से होते हैं, परंतु सामूहिक सौदेबाजी के अनुबंध के बाद उनको अनुबंधों की शर्तों का पालन करना पड़ता है तथा किसी भी नीति के निर्धारण से पूर्व उन्हें यह भी विचार करना पड़ता है कि श्रमिक संघ को वह मान्य होगा अथवा नहीं।
3. श्रमिक वर्ग का महत्त्व बढ़ाना : सामूहिक सौदेबाजी से श्रमिक के सामाजिक स्तर में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप श्रमिक का उद्योग में महत्त्व बढ़ जाता है।
4. मधुर सह-संबंध व विवादों का समाधान : सामूहिक सौदेबाजी के कारण श्रमिकों एवं सेवायोजकों के बीच अच्छे मधुर संबंधों की स्थापना होती है और औद्योगिक विवादों का हल आसानी से हो जाता है।
5. एकपक्षीय कार्यवाही पर नियंत्रण : सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा श्रमिक प्रबंधकों द्वारा की जाने वाली एकपक्षीय कार्यवाही से मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक कार्यवाही पर दोनों पक्षों का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है।

6. सामाजिक सुरक्षा : इसका एक लाभ यह भी है कि वे इसका सहारा ले कर सामाजिक सुरक्षा के उचित प्रावधान करवा लेते हैं। उनको भविष्य निधि, बीमा आदि की सुविधाएं मिल जाती हैं।

7. सुदृढ़ श्रम संघों का विकास : सुदृढ़ श्रम संघों का विकास सामूहिक सौदेबाजी से सर्वाधिक होता है। इससे श्रमिकों को बल मिलता है।

8. उत्तम सेवा शर्तें : पदोन्नति, प्रशिक्षण, विकास, चयन प्रणाली, भर्ती कार्य पद्धति, बोनस, श्रम कल्याण, ऋण सुविधा तथा अन्य श्रमिक प्रेरणाओं आदि के बारे में सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा उचित प्रावधान करवाये जा सकते हैं।

9. विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा : सामूहिक सौदेबाजी से औद्योगिक विवादों का शांतिपूर्वक हल निकल आता है तथा उन्हें न्यायालय की शरण नहीं लेनी पड़ती है। इस प्रकार के न्यायालय में व्यर्थ के चक्कर लगाने तथा धन व्यय करने से बच जाते हैं।

10. समझौते का पालन : सामूहिक सौदेबाजी पारस्परिक सद्विश्वास की प्रणाली है। जिसमें अनुबंध की शर्तों का ईमानदारी से पालन करना होता है। रेनाल्ड्स का मत है, "सामूहिक सौदेबाजी में निरीक्षक एवं निरंकुश शासन न रह कर वैधानिक सम्राट रह जाता है। जिसको समझौतों की शर्तों को मानना पड़ता है।"

## 2. प्रबंधकों के दृष्टिकोण से महत्त्व

(Importance from the Management's Point of View)

1. शांति की परंपरा : सामूहिक सौदेबाजी से उद्योग में शांति की परंपरा पड़ जाती है। इससे छोटे-मोटे विवाद उत्पन्न भी होते हैं, तो वे पूर्व उदाहरणों के आधार पर तय हो सकते हैं। एल. जी. रेनाल्ड्स ने उचित ही कहा है, "जब किसी कारखाने में सामूहिक सौदे बीस या तीस वर्षों तक स्थगित हो जाते हैं तो फिर कोई ऐसी बात उचित नहीं हो सकती, जो पहले नहीं हुई हो और जो परंपरागत नियमों से बाहर हो।" अतः यदि विवाद होता भी है तो वह शीघ्र समाप्त हो जाता है।

2. आदेशों का स्वागत : सामूहिक सौदेबाजी के परिणामस्वरूप एक तो प्रबंधकों द्वारा श्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता मिलती है और दूसरे प्रबंधकों के आदेश आसानी से स्वीकार किये जाते हैं, इससे प्रभावी प्रेरणा मिलती है।

3. पदोन्नतियों, पदावनतियों आदि के मामले शीघ्र निश्चित : प्रबंधकों के समक्ष पदोन्नतियां, पदावनतियां, स्थानांतरण आदि के मामले आसानी से तय किये जा सकते हैं व इनकी नीति निर्धारित की जा सकती है।

4. श्रमिकों का सहयोग : सामूहिक सौदेबाजी द्वारा श्रमिकों की मांगों को पूरा करके प्रबंधक कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं जिससे संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

5. उत्पादन में वृद्धि : सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा चूंकि उद्योग में शांति बनी रहती है, श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, उत्पादन अनवरत बना रहता है इसलिए उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है।

6. समस्या का स्थायी समाधान : सामूहिक सौदेबाजी द्वारा औद्योगिक समस्या का स्थायी समाधान खोजा जा सकता है। एक बार किसी भी मामले को तय कर लेने पर आगामी कुछ वर्षों तक के लिए अधिक मांग नहीं उठाते हैं। इस प्रकार समस्या का कुछ वर्षों तक तो स्थायी रूप से समाधान हो जाता है।

7. औद्योगिक प्रजातंत्र : उद्योग में औद्योगिक प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होने लगती हैं जो अच्छे प्रबंध का सबूत है। श्रमिकों को संस्था में समान स्थान मिलने से प्रबंध में कुशलता आती है।

8. अपव्यय में कमी : सामूहिक सौदेबाजी से श्रमिकों की कार्यकुशलता, सहयोग, मनोबल एवं संतुष्टि में वृद्धि होने से उत्पादन बढ़ता है तथा विभिन्न प्रकार के व्ययों में स्वतः ही कमी हो जाती है।

9. साधनों का पूर्ण उपयोग : कर्मचारियों में सहयोग की भावना का जन्म होने से संस्था की संपत्ति की सुरक्षा होती है तथा यंत्रों व मशीनों का सदुपयोग होता है।

3. राष्ट्र के दृष्टिकोण से महत्त्व  
(Importance From Nation's Point of View)

राष्ट्र के दृष्टिकोण से सामूहिक सौदेबाजी के निम्नलिखित महत्त्व हैं :

1. औद्योगिक शांति व राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि : सामूहिक सौदेबाजी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें श्रम और पूंजी दोनों काफी समीप आ जाते हैं और उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ जाती है, फलतः औद्योगिक विवादों की संख्या घट जाती है। औद्योगिक संघर्ष (हड़तालें व तालाबंदियों) के अभाव में शांति का वातावरण विस्तृत हो जाता है। इससे समस्त राष्ट्र लाभान्वित होता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है।

2. कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होना : सामूहिक सौदेबाजी से औद्योगिक श्रम अधिक लाभदायक हो जाता है। अतः उद्योग में कार्य करने के लिए कृषक मजदूर तत्पर रहते हैं। परिणामतः कृषि पर से जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है।

3. औद्योगिक शोध को प्रोत्साहन : चूंकि सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत सेवायोजकों का व्यय बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें उत्पादन की विधियों में सुधार करने के लिए अनवरत प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक शोध में सहायक होती है।

4. श्रम कानूनों का क्रियान्वयन : सामूहिक सौदेबाजी के कारण दोनों पक्षकार श्रम कानूनों को स्वतः ही लागू कर लेते हैं। अतः सरकार को इनके क्रियान्वयन हेतु सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करना पड़ता है।

5. श्रम कानूनों में संशोधन : सामूहिक सौदेबाजी के फलस्वरूप श्रम कानूनों की कई विसंगतियों का पता चल जाता है। अतः इनको प्रभावी एवं औचित्यपूर्ण बनाने के लिए इनमें आवश्यक संशोधन किये जा सकते हैं।

संक्षेप में, सामूहिक सौदेबाजी से होने वाले लाभों एवं महत्त्व को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है।

Stop 6/5/20